

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य सील करने हेतु नोटिस)

पत्रांक : 331 / वाद सं० सी-0864 / एस-विकासनगर / 2024

दिनांक: 03/06/2025

श्री ऋषिराज शर्मा

निकट- तहसील, अनुराग डेयरी के समाने

लेहमन अस्पताल रोड, एटनबाग विकासनगर देहरादून ।

आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर बिना स्वीकृति के लगभग 50 गुणा 15 के क्षेत्रफल में 04 दुकानों हेतु बुनियाद एवं कॉलमों का निर्माण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० सी-0864 / एस-विकासनगर / 2024 योजित किया गया था।

उपरोक्त वाद में दिनांक 17.12.2024 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं निर्माण कार्य रोकने की सूचना प्रेषित की गयी। जिसे स्थल पर दिनांक 19.12.2024 को तामिल कराया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि आप द्वारा उपरोक्त स्थल पर बिना स्वीकृति के लगभग 50 गुणा 15 के क्षेत्रफल में 04 दुकानों हेतु बुनियाद एवं कॉलमों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त वाद विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 21.12.2024 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहें। क्षेत्रीय सहायक/अवर अभियन्ता की आख्यानानुसार अनाधिकृत निर्माण को सील करने की संस्तुति की गई है।

अतः चालानशुदा अवैध निर्माण में सील की कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालानशुदा अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

-आदेश-

अतः श्री ऋषिराज शर्मा निकट- तहसील, अनुराग डेयरी के समाने लेहमन अस्पताल रोड, एटनबाग विकासनगर देहरादून द्वारा उपरोक्त स्थल पर बिना स्वीकृति के लगभग 50 गुणा 15 के क्षेत्रफल में 04 दुकानों हेतु बुनियाद एवं कॉलमों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अनाधिकृत निर्माण करने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, के अन्तर्गत चालानशुदा निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अवैध/अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 11.06.25 को सील किया जाना है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाये। तदनुसार सूचित हो।

महोदय,

उक्त पत्र स्थल पर श्री ऋषिराज शर्मा जी के तामिल कराया गया।

पी०अधि०/उपजिलाधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
तहसील-विकासनगर देहरादून।

05/06/2025